

नेपाल गजेट

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, मार्ग ६ गते २०१७ साल

श्री ५ को सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सूचना

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०१७।२।२। अतिरिक्तांक ४ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जूट निकासीमा प्रतिबन्ध बारेको आदेशलाई खारेज गरेको छ ।

आज्ञाले-
विश्वशंकर शुक्ल
श्री ५ को सरकारका सचिव
उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय

(३)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

उच्चि लार्पि

६ गम

कमीकर पाठ्यपुस्तक कि १ कि

१५०००० १५०००० १५००००

१५०००० १५०००० १५००००

१५०००० १५०००० १५००००

१५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५००००

१५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५००००

१५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५०००० १५००००

१५००००

१५००००

१५००००

१५००००

आधिकारिक मद्रास विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।